

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2616

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएमवाई के अंतर्गत निधि आवंटन

2616. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित किसानों का बिहार सहित राज्य-वार/जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) पीएमकेएमवाई के अंतर्गत आवंटित और वितरित निधि का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकित लघु और सीमांत किसानों का राज्य-वार वितरण कितना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): “प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)” एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा नेट बनाना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना के लिए निधि प्रबंधक है।

यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है और इस योजना के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं है।

पीएम-केएमवाई के अंतर्गत नामांकन का बिहार सहित राज्यवार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार में जिलेवार नामांकन विवरण अनुबंध-2 पर दिया गया है।

दिनांक 31.07.2025 तक पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकन का राज्यवार विवरण

सं.	राज्य	नामांकित किसान
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	522
2	आंध्र प्रदेश	32,376
3	अरुणाचल प्रदेश	2,378
4	असम	13,581
5	बिहार	3,45,452
6	चंडीगढ़	530
7	छत्तीसगढ़	2,02,851
8	दिल्ली	360
9	गोवा	151
10	गुजरात	66,566
11	हरियाणा	5,74,491
12	हिमाचल प्रदेश	3,572
13	जम्मू और कश्मीर	1,26,595
14	झारखंड	2,53,216
15	कर्नाटक	69,271
16	केरल	1,361
17	लद्दाख	115
18	लक्षद्वीप	72
19	मध्य प्रदेश	1,17,546
20	महाराष्ट्र	80,576
21	मणिपुर	590
22	मेघालय	747
23	मिजोरम	306
24	नागालैंड	1,185
25	ओडिशा	1,57,521
26	पुदुचेरी	148
27	पंजाब	13,049
28	राजस्थान	39,003
29	सिक्किम	37
30	तमिलनाडु	1,10,636
31	तेलंगाना	9,820
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	287
33	त्रिपुरा	847
34	उत्तर प्रदेश	2,52,224
35	उत्तराखंड	2,159
36	पश्चिम बंगाल	8,336
	कुल	24,88,477

प्रारंभ से लेकर 31.07.2025 तक बिहार में पीएमकेएमवाई के अंतर्गत नामांकित किसानों का जिलावार विवरण

ज़िला	नामांकित किसान
वैशाली	11,571
भोजपुर	6,640
लखीसराय	6,189
समस्तीपुर	17,417
कैमूर (भभुआ)	6,668
पूर्वी चंपारण	14,813
सीतामढ़ी	13,235
भागलपुर	11,004
पटना	5,043
सारन	12,481
मधुबनी	13,715
मुजफ्फरपुर	10,985
दरभंगा	16,501
सिवान	15,748
गोपालगंज	10,345
नालंदा	5,341
जमुई	15,682
रोहतास	3,732
बेगूसराय	10,359
पूर्णिया	5,459
बांका	7,093
अररिया	8,104
पश्चिम चंपारण	14,967
किशनगंज	2,241
सहरसा	15,300
खगरिया	6,212
कटिहार	3,942
औरंगाबाद	2,964
अरवाल	770
बक्सर	3,396
गया	9,356
नवादा	21,978
मुंगेर	1,982
मधेपुरा	12,339
सुपौल	14,122
जहानाबाद	2,344
शेखपुरा	3,479
शिवहर	1,935
कुल	3,45,452